भारत का संघ और अन्य

बनाम

देउकी नंदन अग्रवाल

सितंबर 4,1991

[के. जगन्नाथ शेट्टी, वी. रामास्वामी और योगेश्वर दयाल, न्यायमूर्ति]

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954: अनुच्छेद 2,9, पहली अनुसूची का भाग I, धारा 17-ए-उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को देय पेंशन। न्यूनतम सात वर्ष की सेवा का निर्धारण -पात्र नहीं लोगों के लिए कम पेंशन तय करना-क्या यह भेदभावपूर्ण है-1986 का संशोधन अधिनियम-क्या वह सभी न्यायाधीशों पर लागू हो, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीखें कुछ भी हों।

न्यायिक सिक्रयताः न्यायिक सिक्रयता का औहवान करना तािक विधायी निर्णय को शून्य किया जा सके-चाहे वह संवैधािनक सद्भाव और साधनों के समुदाय के लिए विध्वंसक हो-न्यायालय विधायिका के स्पष्ट इरादे को पूरा करे-न कि स्वयं कानून बनावे।

प्रत्यर्थी सेवानिवृत्ति पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दिनांक 03-10-1983 सेवानिवृत्त हुए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की पहली अनुसूची के भाग । के तहत अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए चुने गए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, उन्होंने 5 साल 10 महीने और 17 दिनों की सेवा की थी और उनकी पेंशन 8,400 रुपये प्रति वर्ष और पारिवारिक पेंशन Rs.250 प्रतिमाह पर निर्धारित की गई थी।

1986 में, अधिनियम में संशोधन किया गया था जिसमें पेंशन को 1.11.1986 से बढ़ाया गया था। इसके बाद, प्रत्यर्थी ने एक रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की तथा इस निर्देश के लिए प्रार्थना की कि वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से 9,600 रुपये प्रति वर्ष की दर से अपनी पेंशन को इस औधार पर पुनर्निर्धारित करने का हकदार है कि पेंशन के लिए उनकी सेवा की अविध 1 महीने और 13 दिनों को जोड़कर छह साल तक बढ़ाई जा सकती है; कि 1 नवंबर, 1986 से उनकी पेंशन को 3,430 रुपये की दर से 580 रुपये प्रति वर्ष की दर से पुनर्निर्धारित किया जा सकता है; और यह कि उनकी पत्नी को स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन की गणना इस औधार पर की जाए कि उन्होंने छह साल की सेवा पूरी कर ली है।

रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी ने भारत सरकार को अभ्यावेदन दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी केवल 1 महीने और 13 दिनों तक 6 साल की सेवा पूरी करने से चूक गया है, इसलिए राष्ट्रपति उसे अविध जोड़ने की अनुमित दे सकते हैं तािक न्यायाधीश के रूप में सेवा के 6 वर्ष पूरे करने के औधार पर पेंशन, उपदान और पारिवारिक पेंशन की गणना करें। 16 अप्रैल, 1987 के अपने औदेश द्वारा भारत सरकार ने अन्य औधारों के साथ प्रत्यर्थी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया कि अनुरोध में देरी हुई थी।

15 मार्च, 1988 को उच्च न्यायालय ने अपने फैसले से रिट याचिका स्वीकार करते हुए सरकार को यह निर्देशित किया कि वे प्राप्त प्रार्थी की पेंशन, पारिवारिक पेंशन व उपदान उन्हें 6 वर्ष सेवा में पूर्ण करना मानते हुए पुनः निर्धारित करें। प्रस्तुत अपील विशेष अनुमति के साथ भारत संघ द्वारा उच्च न्यायालय के औदेश के विरुद्ध की है।

अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की पहली अनुसूची के सेवानिवृत्ति लाभ प्रावधानों को फिर से लिखा है, जिसका वह

हकदार नहीं था और इसलिए उस औधार पर पेंशन का पुनर्निर्धारण पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक था।

तथापि, अपील के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय ने अपने 15 दिसंबर, 1988 की कार्यवाही में सरकार से अधिनियम की धारा 16 के तहत राष्ट्रपित से औवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद निर्देश दिया कि अपील में इस न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन 1 महीने और 13 दिनों की अविध को जोड़ा जा सकेगा। हालांकि, यह जोड़ी गयी अविध को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ।, भाग ॥ और भाग ॥ के तहत अतिरिक्त पेंशन, यदि कोई हो, की गणना करने में इस अविध की अवहेलना की जाएगी।

इस न्यायालय ने अपील की अनुमित देते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. पेंशन योजनाओं में पेंशन के उद्देश्यों के लिए न्यूनतम अविध तय करना एक सर्वविदित प्रथा है। इस तरह की पेंशन के लिए न्यूनतम अविध क्या होगी? यह उस विशेष सेवा, उस उम्र पर निर्भर करेगी जिस पर कोई व्यक्ति ऐसी सेवा में प्रवेश कर सकता है, सामान्य अविध जिस पर उससे सेवानिवृत्ति पर अपनी सेवानिवृत्ति से पहले सेवा करने की उम्मीद की जाती है, और कई अन्य कारक पर निर्भर करेगी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पेंशन के लिए निर्धारित सात पूर्ण वर्षों की सेवा की अविध मनमाना है। जहाँ तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का संबंध है, भारत सरकार अधिनियम के तहत भी सेवानिवृत्ति से पहले सात पूर्ण वर्षों की सेवा की अविध पेंशन के लिए पात्रता के लिए निर्धारित की गई थी। वास्तव में उन लोगों के लिए कोई पेंशन प्रदान नहीं की गई थी जिन्होंने पूर्व-संवैधानिक योजना के तहत सात साल की सेवा पूरी नहीं की थी। इस प्रकार पेंशन के लिए कम से कम सात साल की सेवा निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक औधार या कारण हैं। भाग । पेंशन योजना से

संबंधित है। सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति से पहले सेवा की न्यूनतम अवधि निर्धारित करना, पेंशन के लिए स्वयं ही एक योजना है न कि एक वर्गीकरण। यह पात्रता के लिए एक योग्यता है। यह पेंशन की गणना से अलग है। वे सभी जो उस शर्त को पूरा करते है पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। [885 जी-एच; 886 ए-सी]

- 2. यहां तक कि जिन लोगों ने सात साल की सेवा पूरी की थी, उन्हें भी सेवा के सभी पूर्ण वर्षों के लिए 1,600 रुपये प्रति वर्ष की दर से पेंशन नहीं दी गई है और पेंशन के उद्देश्यों के लिए अधिकतम सीमा तय की गई है। यदि कोई अधिकतम देय राशि के संदर्भ में प्रतिवर्ष दर के हिसाब से गणना करता है तो 14 वर्षों की सेवा में वह अधिकतम राशि तक पहुच जाता है। उस अवधि से उपर की किसी भी सेवा को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति जिसने अधिकतम पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अवधि रखी थी, उसे उस व्यक्ति के खिलाफ अनुकूल व्यवहार कहा जा सकता है जिसने अधिकतम पेंशन के लिए औवश्यकता से अधिक वर्षों की सेवा की थी और इस तरह भेदभाव किया था। [886 डी-इ]
- 3. यह कहना सही नहीं है कि पैराग्राफ 9 में प्रदान की गई पंशन की राशि न्यूनतम पंशन है। उक्त पैराग्राफ में 'न्यूनतम' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन केवल यह कहा गया है कि यदि कोई न्यायाधीश किसी भी प्रावधान के तहत पंशन के लिए पात्र हुए बिना सेवानिवृत्त होता है, तो अन्य प्रावधानों में किसी भी चीज के बावजूद, उसमें उल्लिखित एक विशेष राशि की पंशन का भुगतान न्यायाधीश को किया जाएगा। इस राशि की गणना नहीं की गई है या इसमें सेवा की किसी भी अविध का कोई संदर्भ नहीं है। एक न्यायाधीश जिसने सेवानिवृत्ति से पहले केवल दो साल की सेवा की थी, उसे भी छह साल की सेवा पूरी करने वाले न्यायाधीश के समान राशि मिलेगी। यदि पैराग्राफ 2 में सात साल की सेवा पूरी करने से संबंधित प्रावधान को असंवैधानिक के रूप में निरस्त कर दिया जाता है, तो वे सभी जिन्होंने छह साल से

कम की सेवा पूरी की थी, वे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे और पैराग्राफ 9 भी लागू नहीं होगा। इसके अलावा, यह उन लोगों के लिए खुला हो सकता है जिन्होंने पांच साल से अधिक या चार साल से अधिक समय के लिए सेवा दी, यह तर्क देने के लिए कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि जिन व्यक्तियों ने उस अवधि से कम समय के लिए सेवा दी है, उन्हें बहुत अधिक दर पर पेंशन मिलेगी। [886 एफ-एच; 887 ए]

4. 1986 के संशोधन अधिनियम 38 में प्रावधान किया गया है कि उदारीकृत पेंशन योजना केवल उस न्यायाधीश पर लागू होगी जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुऔं हो। इसी तरह का एक प्रावधान जिसने 1976 के संशोधन को केवल उन न्यायाधीशों पर लागू किया जो 1 अक्टूबर, 1974 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, को अधिकातीत होने से हटाया गया और यह निर्णय लिया गया था कि संशोधन का लाभ सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध था, भले ही सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो, लेकिन इस शर्त के तहत कि बढ़ी हुई पंशन केवल 1 अक्टूबर, 1974 से देय थी। 1986 का संशोधन अधिनियम संशोधित प्रावधान की प्रयोज्यता को केवल उन लोगों तक सीमित नहीं कर सकता है जो संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति की तारीखों की परवाह किए बिना सभी न्यायाधीशों पर लागू होगा और वे 1 नवंबर, 1986 से उसमें प्रदान की गई दरों पर पंशन का भगतान करने के हकदार होंगे। [883 ए-डी]

भारत संघ बनाम। B. Malck [1984] 3 एससीऔर 550; एन. एल. अभ्यंकर बनाम भारत संघ, [1984] 3 एस. सी. और. 552 और डी. एस. नाका बनाम भारत संघ, [1983] 2 एस. सी. और. 165, संदर्भित।

- 5. तत्काल मामले में उच्च न्यायालय ने भाग । के पैराग्राफ 2 में पेंशन के लिए पात्रता के लिए अलग-अलग न्यूनतम अविध को प्रतिस्थापित करके पैराग्राफ 2 के प्रावधानों में संशोधन और परिवर्तन करने में अपने अधिकार क्षेत्र और शिक्त को पार कर लिया था। चूंकि प्रतिवादी ने पेंशन के लिए सात वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, इसलिए वह अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग । के पैराग्राफ 9 में प्रदान की गई दरों पर पेंशन के लिए पात्र होगा, अर्थात 4.10.1983 से 31.10.1986 की अविध के लिए 8,400 रुपये प्रति वर्ष की दर से और 1 नवंबर, 1986 को और उससे पहले की अविध के लिए Rs.15,750 प्रति वर्ष की दर से। [887 बी-सी]
- 6. चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा जारी औदेश के अनुपालन में, भारत के राष्ट्रपति ने इस अपील में अंतिम निर्णय के अधीन रहते हुए प्रतिवादी की सेवा में एक महीने और 13 दिनों को जोड़ने की मंजूरी दी थी, इसलिए यह न्यायालय इस सवाल में नहीं जाता है कि क्या उच्च न्यायालय अविध को जोड़ने के लिए पहले की अस्वीकृति को अलग रखने के इस मामले में सही था। एक महीने और 13 दिनों के जोड़ से पेंशन की गणना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह केवल अधिनियम की धारा 17 ए (3) के तहत उपदान की गणना के उद्देश्य से प्रासंगिक है। चूंकि अविध तीन महीने से कम थी और राष्ट्रपति अधिनियम की धारा 16 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जोड़ को मंजूरी देने के लिए तुष्ट थे, हालांकि यह विषय था इस न्यायालय के अंतिम निर्णय के लिए यह उचित और औवश्यक है कि यह जोड़ उपदान और पारिवारिक पेंशन के लिए बना रहें किन्तु पेंशन के लिए नहीं। प्रतिवादी पारिवारिक पेंशन का निर्धारण एवं उपदान के भुगतान की गणना उसके 6 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के औधार पर कराने का हकदरार होगा। [887 डी-एच]
- 7.1 यह न्यायालय का कर्तव्य नहीं है कि वह विधान के दायरे का विस्तार करे या विधायिका की मंशा का विस्तार करे जब प्रावधान स्पष्ट और असंदिग्ध है।

न्यायालय फिर से नहीं लिख सकता है, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति अदालतों को नहीं दी गई है। न्यायालय किसी कानून में शब्द नहीं जोड़ सकता है या उसमें शब्द नहीं पढ़ सकता है जो वहां नहीं है। यह मानते हुए कि मैं दोष या चूक है विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्द न्यायालय इस कमी को सुधारने या उसे पूरा करने में उसकी सहायता नहीं कर सकता। अदालतें तय करेंगी कि कानून क्या है और यह नहीं कि क्या होना चाहिए। न्यायालय निश्चित रूप से एक ऐसे निर्माण को अपनाता है जो विधायिका के स्पष्ट इरादे को पूरा करेगा लेकिन खुद कानून नहीं बना सकता है। लेकिन विधायी निर्णयों को शून्य करने के लिए न्यायिक सिक्रयता का औहवान करना संवैधानिक सद्भाव और साधनों के समुदाय के लिए विनाशकारी है। [885 ए-डी]

7.2 योजना को संशोधित और परिवर्तित करना और इसे दूसरों पर लागू करना जो योजना के तहत अन्यथा हकदार नहीं हैं, वे भी भेदभाव से बचने के लिए अदालतों द्वारा कभी-कभी अपनाई गई सकारात्मक कार्रवाई के सिद्धांत के तहत नहीं औएंगे। इस मामले में उच्च न्यायालय ने जो किया है वह विधायी शक्ति का स्पष्ट और नग्न दुरूपयोग है। [885 एफ]

पी. के. उन्नी बनाम निर्मला इंडस्ट्रीज, [1990] 1 एससीऔर 482; मंगीलाल बनाम सुगनचंद राठी, [1965] 5 एससीऔर 239; श्री राम राम नारायण मेधी बनाम द स्टेट ऑफ बॉम्बे, [1959] सप. 1 एससीऔर 489; श्रीमती. हीरा देवी और अन्य। वी. जिला बोर्ड, शाहजहांपुर, [1952] एस. सी. और. 1122; निलनख्या बैसैक बनाम। श्याम सुंदर हलदर और अन्य, [1953] एस. सी. और. 533; गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा, [1980] 2 एस. सी. और. 146; एस. नारायणस्वामी बनाम जी. पन्नीरसेल्वम और अन्य, [1973] 1 एससीऔर 172; एन. एस. वर्दाचारी बनाम जी. वसंत पाई और अन्य, [1973] 1 एस. सी. और. 886; भारत संघ बनाम संकल चंद हिम्मतलाल सेठ और अन्य, [1978] 1 एस. सी. और. 423 और

बिक्री कर औयुक्त, यू. पी. बनाम औरिया चैंबर ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद, [1986] 2 एस. सी. और. 430, पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3674/1988

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सिविल विविध रिट याचिका संख्या 20328/1986 में 15.3.1988 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों की ओर से वी. सी. महाजन, सी. वी. एस. राव और ए. सुब्बा रावदेउकी नंदन अग्रवाल-व्यक्तिगत रूप से और श्रीमती एस. दीक्षि उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय वी. रामास्वामी, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था।

प्रतिवादी को 17 नवंबर, 1977 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। वे 3 अक्टूबर, 1983 को 62 वर्ष की औयु में सेवानिवृति पर सेवानिवृत हुए। उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शतें) अधिनियम, 1954 की पहली अनुसूची के भाग। के तहत अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए चुना था। चूंकि उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में केवल पांच साल 10 महीने और 17 दिनों की सेवा की थी, इसलिए पहली अनुसूची के अनुच्छेद 9 भाग 1 के तहत देय पेंशन 8,400 रुपये प्रति वर्ष की दर से निर्धारित की गई थी और महालेखाकार, इलाहाबाद के दिनांक 2 दिसंबर, 1983 पत्र में उनकी मृत्यु उनकी पत्नी से पूर्व होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन प्रति माह Rs.250 निर्धारित की गई थी। धारा 17 ए (3) के तहत ग्रेच्युटी का निर्धारण एकमुश्त Rs.11,665.66 पी. पर इस औधार पर किया गया था कि उन्होंने केवल पांच साल की सेवा पूरी की थी। 4 अक्टूबर, 1983 से पेंशन देय थी। अधिनियम को 1986 के संशोधन अधिनियम संख्या 38 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें 1 नवंबर, 1986 से पेंशन में वृद्धि का प्रावधान किया गया था। 10 दिसंबर, 1986 को याचिकाकर्ता ने संविधान के

अनुच्छेद 226 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें यह घोषणा करने के लिए एक औदेश या निर्देश का अनुरोध किया गया कि (i) वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख, अर्थात् 4 अक्टूबर, 1983 से 31 अक्टूबर, 1986 तक 9,600 रुपये प्रति वर्ष की दर से अपनी पेंशन को फिर से निर्धारित करने का हकदार है, साथ ही समय-समय पर नियमों के तहत स्वीकार्य महँगाई भता इस औधार पर कि पेंशन के लिए उनकी सेवा की अविध को 1 महीने और 13 दिनों को 5 साल, 10 महीने और 17 दिनों में जोड़कर छह साल तक बढ़ाया जाना उचित था; (ii) अविध के लिए पेंशन को फिर से निर्धारित करने के लिए। 1 नवंबर, 1986 से 580 प्रति वर्ष और महँगाई भता या अन्य भते जो समय-समय पर नियमों के तहत स्वीकार्य हों, उपर बताए गए छह पूर्ण वर्षों की सेवा के लिए 3,430 रुपये प्रति वर्ष की दर से; (iii) 1986 के अिधनियम 38 द्वारा संशोधित धारा 17ए के तहत उसकी पत्नी को स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन को फिर से 6 वर्ष के रूप में लेना, न कि 5 वर्ष, 10 महीने और 17 दिनों की कुल सेवा के रूप में।

रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी ने भारत सरकार को किए गए अभ्यावेदनों में कहा गया है कि चूंकि प्रत्यर्थी की सेवा के 6 पूर्ण वर्षों के लिए केवल एक महीने और 13 दिनों की कमी हो गई है, इसलिए राष्ट्रपति उसे न्यायाधीश के रूप में सेवा के 6 पूर्ण वर्षों के औधार पर पेंशन, उपदान और पारिवारिक पेंशन की गणना करने के लिए अविध जोड़ने की अनुमित दे सकते हैं। 16 अप्रैल, 1987 के अपने औदेश द्वारा भारत सरकार ने अन्य औधारों के साथ प्रत्यर्थी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया कि अनुमित दी। इई थी। 15 मार्च, 1988 के अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने रिट की अनुमित दी। याचिका में सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह उनकी पेंशन, उनकी पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी को फिर से तय करे क्योंकि उन्होंने निर्णय में दिए गए तरीके से छह साल की सेवा पूरी कर ली है।

इस अपील में भारत संघ की मुख्य शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति लाभ प्रावधानों-अधिनियम की अनुस्ची प्रथम को फिर से लिखा है जिसका वह हकदार नहीं था और उस औधार पर पेंशन का पुनर्निर्धारण प्री तरह से अवैध और असंवैधानिक था। चूंकि उच्च न्यायालय ने भारत संघ को अधिनियम की धारा 16 के तहत पेंशन की गणना के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की गई सेवा की कुल अविध में एक महीने और 13 दिन जोड़ने का औदेश जारी किया है, इसलिए 15 दिसंबर, 1988 की कार्यवाही में इस न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान सरकार ने अधिनियम की धारा 16 के तहत राष्ट्रपति से औवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद, 1988 की विशेष अनुमित याचिका 6798 (1988 का सीए संख्या 3674) में इस न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन एक महीने और 13 दिनों को जोड़ने का निर्देश दिया। हालाँकि, उन्होंने कहा कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग । और भाग ॥ और भाग ॥ के तहत अतिरिक्त पंशन, यदि कोई हो, की गणना करने में अविध की अवहेलना की जाएगी।

विद्वान वकील के तर्क की सराहना करने के लिए अपीलार्थी-भारत संघ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनकी सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन से संबंधित कुछ प्रावधान निर्धारित करना औवश्यक है। भारत सरकार (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) औदेश, 1937 का खंड 17 किसी न्यायाधीश को उनकी सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन से संबंधित है, जो संविधान के लागू होने से पहले लागू थी, जिसमें प्रावधान किया गया था कि "एक न्यायाधीश को उनकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन देय होगी यदि, लेकिन केवल तभी जबः

- "(क) उसने पेंशन के लिए 12 वर्ष से कम की सेवा पूरी नहीं की है; या
- (ख) उसने पेंशन के लिए कम से कम 7 साल की सेवा पूरी की है और साठ वर्ष की औयु प्राप्त कर ली है; या

(ग) उसने पेंशन के लिए कम से कम 7 साल की सेवा पूरी की है और उनकी सेवानिवृत्ति होने के लिए औवश्यक रूप से चिकित्सकीय प्रमाणित अस्वस्थता से ग्रस्त होना।"

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रावधानों के तहत तब मौजूद ए सात साल से कम की सेवा पूरी करने वाले न्यायाधीश को कोई पेंशन नहीं दी जाती थी।

जैसा कि हम इस मामले में एक के लिए लागू प्रावधानों के लिए चिंतित हैं न्यायाधीश जिनके लिए उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की पहली अनुसूची का भाग । या तो बार से सीधे उच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति के कारण लागू होता है या जिनके पास है उस भाग के तहत देय पेंशन प्राप्त करने के लिए चुने जाने पर हमें प्रथम अनुसूची के भाग । में पेंशन से संबंधित प्रावधान 1976 के संशोधन से पहले अनुच्छेद 2,3,4,5 और 9 को देखने की औवश्यकता है जो इस प्रकार थे:

- "2. इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उस न्यायाधीश को देय पेंशन, जिसे यह भाग लागू होता है और जिसने पेंशन के लिए कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली है पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट मूल पेंशन होगी। अतिरिक्त पेंशन, यदि कोई हो, जिससे पैराग्राफ 5 के तहत वह बढ़ाने का हकदार है।
 - 3. मूल पेंशन जिसके लिए ऐसा न्यायाधीश हकदार होगा
- (क) पेंशन के लिए सेवा के पहले सात पूर्ण वर्षों के लिए, 5,000 रुपये प्रति वर्ष; और
- (ख) पेंशन के लिए सेवा के प्रत्येक बाद के पूर्ण वर्ष के लिए, रुपये की अतिरिक्त राशि।1,000 प्रति वर्षः

बशर्ते कि मूल पेंशन किसी भी मामले में 10,000 रु. प्रति वर्ष से अधिक न हो

4. अतिरिक्त पेंशन की गणना के उद्देश्य के लिए, न्यायाधीश की सेवा निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जाएगी:-

ग्रेड । किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा। ग्रेड ॥ किसी भी उच्च न्यायालय में किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में सेवा।

5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित ग्रेडों में से किसी एक में पेंशन के लिए सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए, न्यायाधीश जो इस भाग के तहत मूल पेंशन के लिए पात्र है, उस ग्रेड के संबंध में निर्दिष्ट अतिरिक्त पेंशन जो यहाँ संलग्न तालिका के दूसरे स्तंभ में संलग्न है का हकदार होगा।

बशर्ते कि उसकी मूल और अतिरिक्त पेंशन की कुल राशि उस उच्च श्रेणी के संबंध में उक्त तालिका के तीसरे कॉलम में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी जिसमें उसने कम से कम एक पूरा वर्ष के लिए सेवा प्रदान की है।

तालिका

सेवा	अतिरिक्त पेंशन	अधिकतम समुच्चय पेंशन
	प्रति वर्ष रु	प्रति वर्ष रु
ग्रेड ।	740	20,000
ग्रेड II	740	16,000

9. जहाँ कोई न्यायाधीश जिसे यह भाग लागू होता है, सेवानिवृत होता है या 26 जनवरी, 1950 के बाद किसी भी समय सेवानिवृत होता है तो बिना किसी अन्य प्रावधान के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के बावजूद इस भाग में किसी बात के होते हुए भी,पूर्वगामी प्रावधान, 6,000 रुपये प्रति वर्ष की पेंशन ऐसे न्यायाधीश को देय होगा।

बशर्ते कि इस अन्च्छेद में कुछ भी लागू नहीं होगा

- (क) किसी अतिरिक्त न्यायाधीश या कार्यवाहक न्यायाधीश को; या
- (ख) एक ऐसे न्यायाधीश को जो अपनी नियुक्ति के समय संघ या राज्य के तहत किसी पिछली सेवा के संबंध में पेंशन (विकलांगता या घाव पेंशन के अलावा) प्राप्त कर रहा है।

ध्यान देंः प्रोविसो को 1958 के अधिनियम संख्या 46 द्वारा जोड़ा गया था।

1976 के अधिनियम 35 में संशोधन करते हुए पहली अनुसूची में अनुच्छेद 2 और 9 को प्रतिस्थापित करते हुए और अनुच्छेद 3,4 और 5 को हटाते हुए संशोधन किया गया था।प्रकाशित पैराग्राफ 2 और 9 इस प्रकार हैं:

- "2. इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, पेंशन प्राप्त करने योग्य न्यायाधीश जिन पर यह भाग लागू हो और जिन्होंने पेंशन के लिए कम से कम सात साल की सेवा पूरी की होगा।
- (क) किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा के लिए 2400 रुपये प्रति वर्ष;
- (ख) किसी भी उच्च न्यायालय में किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में सेवा के लिए 1600 रुपये प्रति वर्ष और बशर्ते कि पेंशन किसी भी मामले में Rs.28,000 प्रति वर्ष से अधिक न हो मुख्य न्यायाधीश के मामले में और Rs.22,400 प्रति वर्ष किसी अन्य न्यायाधीश के मामले में वर्ष।
- 9. जहाँ कोई न्यायाधीश जिसे यह भाग लागू होता है, इस भाग के किसी अन्य प्रावधान के तहत पेंशन के लिए पात्र हुए बिना 26 जनवरी, 1950 के बाद किसी भी

समय सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त होता है, तो पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसे न्यायाधीश को 8,400 रुपये प्रति वर्ष की पेंशन देय होगी बशर्ते कि इस अनुच्छेद में कुछ भी लागू नहीं होगा-

- (क) किसी अतिरिक्त न्यायाधीश या कार्यवाहक न्यायाधीश को; या
- (ख) एक ऐसे न्यायाधीश को जो अपनी नियुक्ति के समय संघ या राज्य के तहत किसी पिछली सेवा के संबंध में पेंशन (विकलांगता या घाव पेंशन के अलावा) प्राप्त कर रहा है।"

ये संशोधित प्रावधान इस न्यायालय के निर्णयों भारत संघ बनाम बी. मिलक, [1984] 3 एस. सी. और.-550 और एन. एल. अभ्यंकर बनाम। भारत संघ, [1984] 3 एस. सी. और. 552 में उच्च न्यायालय के उन सभी न्यायाधीशों के संबंध में लागू किए गए थे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथियाँ कुछ भी हो। हालाँकि बढ़ी हुई पेंशन केवल 1 अक्टूबर, 1974 से देय थी।

पहली अनुसूची के भाग । को अधिनियम 38, 1986 जो 1 नवंबर, 1986 से प्रभावी द्वारा और संशोधित किया गया था,और संशोधित अनुच्छेद 2 इस प्रकार है:

- "2. इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, एक ऐसे न्यायाधीश को देय पेंशन, जिसे यह भाग लागू होता है और जिसने पेंशन के लिए कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली है-
- (क) किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा के लिए 4,500 रुपये सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रति वर्ष;
- (ख) किसी भी उच्च न्यायालय में किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में सेवा के लिए, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रति वर्ष 3,430 रुपयेः

बशर्ते कि पेंशन किसी भी मामले में मुख्य न्यायाधीश के मामले में Rs.54,000 प्रति वर्ष और किसी अन्य न्यायाधीश के मामले में Rs.48,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

अधिनियम में और संशोधन किया पैराग्राफ 9 को प्रतिस्थापित करके 15,750 रुपये को 6,000 रुपये के लिए।

इस स्तर पर ही हम यह नोट कर सकते हैं कि 38 का यह संशोधन अधिनियम 1986 बशर्ते कि संशोधित उदारीकृत पेंशन योजना केवल उस न्यायाधीश पर लागू होगी जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1986 के प्रारंभ पर या उसके बाद सेवानिवृत हुऔ हो। इसी तरह का एक प्रावधान, जिसने 1976 के अधिनियम 35 दवारा किए गए संशोधन को केवल उन न्यायाधीशों पर लागू किया, जो 1 अक्टूबर, 1974 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, इस न्यायालय के दो निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया था और इसे निरस्त कर दिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संशोधन का लाभ सभी सेवानिवृत न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध था, चाहे सेवानिवृत्ति की तारीख क्छ भी हो, लेकिन इस शर्त के अधीन बढ़ी हुई पेंशन केवल 1 अक्टूबर, 1974 से ही देय थी। यह भी डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ, [1983] 2 एस. सी. और. 165 के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का अन्पात था।। उसी तर्क पर हमें यह मानना होगा कि अधिनियम 38 का संशोधन 1986 संशोधित प्रावधान की प्रयोज्यता को केवल उन लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता है जो संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। परिणामस्वरूप स्थिति यह होगी कि 1986 के अधिनियम 38 द्वारा संशोधित पहली अन्सूची के भाग 1 में पेंशन के प्रावधान सभी न्यायाधीशों पर लागू होंगे, चाहे सेवानिवृत्ति की तारीखें कुछ भी हों और वे 1 नवंबर, 1986 से उसमें प्रदान की गई दरों पर पेंशन का भ्गतान करने के हकदार होंगे।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, प्रत्यर्थी 3 अक्टूबर, 1983 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है। 4 अक्टूबर, 1983 से 31 अक्टूबर, 1986 तक की अवधि के लिए प्रत्यर्थी ने दावा किया कि वह 9,600 रुपये की दर से और 1 नवंबर, 1986 से 20,580 रुपये प्रति वर्ष की दर से भुगतान प्राप्त करने का हकदार है, जब 1986 का संशोधन अधिनियम 38 लागू ह्औ, साथ ही समय-समय पर स्वीकार्य सामान्य महँगाई भता। यह दावा इस औधार पर किया गया था कि अधिनियम की धारा 16 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति का विवेकाधीन होने के बावजूद मनमाने ढंग से या अप्रसंगिक रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता था। हम या अन्य असमर्थनीय औधार कि तथ्यों और सीमाओं के औधार पर 16 अप्रैल, 1987 के सरकार के औदेश द्वारा उनकी सेवा की अविध के लिए एक महीने और 13 दिनों की अविध को शामिल करने से इनकार करना अवैध था और तथ्यों और परिस्थितियों के औधार पर, उनका मामला उनकी सेवा की अविध को छह साल तक बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। इस धारणा पर कि वह इस तरह के विस्तार का हकदार है और उसने छह साल की सेवा पूरी कर ली है, प्रतिवादी का अगला मामला यह था कि वह 1,600 रुपये सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए और छह साल के लिए प्रति वर्ष 9.600 की दर से 1 नवंबर, 1986 से पहले की अवधि के लिए पेंशन की गणना का हकदार है। उन्होंने औगे तर्क दिया कि पहली अन्सूची के भाग I के पैराग्राफ 2 में "जिसने पेंशन के लिए कम से कम सात साल की सेवा ली है" शब्दों को "जिसने पेंशन के लिए पांच साल से अधिक की सेवा पूरी की है" के रूप में पढ़ा जाए,इस औधार पर कि एक न्यायाधीश जिसने सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उसे सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 1,600 रुपये की दर से गणना करने की अन्मति है, एक व्यक्ति जिसने सात वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, उसे उस लाभ से वंचित नहीं किया

जा सकता है। लेकिन यह पता लगाना कि एक व्यक्ति जिसने केवल पाँच साल की सेवा या पाँच साल से कम की सेवा पूरी की थी सेव, यदि पेंशन की गणना 1,600 रुपये की दर से की जावे तो उससे, 8,000 रुपये या 8,000 रुपये से कम मिलेगा, हालांकि नियम 9 में उन लोगों के लिए 8,400 रुपये प्रति वर्ष की निश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है जिन्होंने सात साल की सेवा पूरी नहीं की है, वह पैराग्राफ 2 में "कम से कम पांच साल की सेवा" को "पाँच साल से अधिक" सेवा के रूप में पढ़ना चाहते थे। इस तर्क को उच्च न्यायालय ने इस औधार पर स्वीकार किया कि एक ऐसे न्यायाधीश को वंचित करने का कोई तर्कसंगत औधार नहीं है, जिसने सेवा के छह साल पूरे कर लिए हैं, जो सेवा के प्रति वर्ष 1,600 रुपये की दर से पेंशन के लाभ की गणना करता है, जो उन लोगों के लिए प्रदान किया गया था जिन्होंने सेवा के सात साल पूरे कर लिए थे। उच्च न्यायालय का विचार था कि 1,600 रुपये प्रति वर्ष की दर से गणना के लाभ को अस्वीकार किया जाने से इस प्रावधान को एक भेदभावपूर्ण कानून के रूप में निरस्त किया जाएगा और हालांकि इस प्रावधान को "अधिनियम की पहली अन्सूची के भाग । के पैराग्राफ 2 को "कम से कम सात वर्ष" के स्थान पर पढ़कर "पांच वर्ष से अधिक" पढ़कर बचाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से उच्च न्यायालय ने अन्च्छेद 2 में संशोधन किया ताकि "7 वर्ष से कम नहीं" शब्दों को "5 वर्ष से अधिक" के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सके और 4.10.1983 से 31.10.1986 तक इस अविध के लिए 9,600 रुपये प्रति वर्ष पेंशन के भुगतान के दावे की अनुमित दी जा सके।

जैसा कि 1986 के संशोधन अधिनियम 38 के अनुसार पहले ही कहा जा चुका है 7 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों के लिए देय पेंशन की गणना प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3,430 रुपये की दर से की जानी थी और उन लोगों के लिए जिन्होंने 7 साल की सेवा पूरी नहीं की है, 15,750 रु पेंशन के रूप में देय था। उसी तर्क पर जिसने उच्च

न्यायालय को 1 नवंबर, 1986 से पहले लागू प्रावधान में "सात साल से कम" को "पांच साल से अधिक" के रूप में पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उच्च न्यायालय ने औगे कहा कि चूंकि चार साल की सेवा में न्यायाधीश ने 13,720 रुपये कमाए होंगे और पाँच साल की सेवा पूरी करने पर उन्होंने 17,150 रुपये की राशि कमायी होगी जिसकी 3430 रूपये प्रति वर्ष के मुकाबले 15,750 की दर से गणना की जाती है जो पैराग्राफ 9 में प्रदान किया गया, अनिवार्य रूप से पैराग्राफ 2 को प्रदान किए गए "सात साल से कम नहीं" के बजाय "चार साल से अधिक" के रूप में पढ़ना होगा।

विद्वान न्यायाधीशों ने अपने द्वारा संशोधित तरीके से प्रावधानों को पढ़ा और प्रतिवादी को 1 नवंबर, 1986 की अविध के लिए 20,580 रूपये प्रति वर्ष देय पेंशन की गणना की।परिणामस्वरूप पेंशन के संबंध में दी गई राहत के औलोक में उपदान और पारिवारिक पेंशन के भुगतान से संबंधित समतुल्य राहत भी देने का निर्देश दिया।

हम 1 नवंबर, 1986 से पहले लागू पैराग्राफ 2 के प्रावधानों को 1 नवंबर, 1986 के बाद की अविध के लिए उसी पैराग्राफ में "पांच साल से अधिक" को "चार साल से अधिक" के रूप विद्वान न्यायाधीशों के पढ़ने के तर्क को समझने में चूक रहे हैं। यह न्यायालय का कर्तव्य नहीं है कि वह विधान के दायरे को बढ़ाए या विधायिका के इरादे को बढ़ाए, जब प्रावधान की भाषा स्पष्ट और जाहिर हो। न्यायालय बहुत अच्छे कारण से कानून को फिर से नहीं लिख सकता, फिर से तैयार नहीं कर सकता या फिर से गठित नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। कानून बनाने की शक्ति अदालतों को नहीं दी गई है। न्यायालय किसी कानून में ऐसे शब्द नहीं जोड़ सकता है या उसमें ऐसे शब्द नहीं पढ़ सकता है जो वहां नहीं हैं। यह मानते हुए कि विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में कोई दोष या चूक है, न्यायालय इस कमी को सुधारने या उसे पूरा करने में अपनी सहायता नहीं कर सकता। अदालतें तय करेंगी कि कानून क्या है और ना कि क्या होना चाहिए। न्यायालय

निश्चित रूप से एक ऐसे निर्माण को अपनाता है जो विधायिका के स्पष्ट इरादे को पूरा करेगा लेकिन खुद कानून नहीं बना सकता है। लेकिन विधायी निर्णय को शून्य करने के लिए न्यायिक सक्रियता का औहवान करना संवैधानिक सद्भाव और साधनों के सम्दाय के लिए विनाशकारी है। वीडियो *पी. के. उन्नी बनाम निर्मला इंडस्ट्रीज*, [1990] I एससीऔर 482 488 पर; मंगीलाल बनाम सुगनचंद राठी, [1965] 5 एससीऔर 239; श्री राम राम नारायण मेधी बनाम द स्टेट ऑफ बॉम्बे, [1959] सप. 1 एससीऔर 489; श्रीमती. हीरा देवी और ओऔरएस। वी. जिला बोर्ड, शाहजहांपुर, [1952] 1131 में एस. सी. और. 1122; नलिंख्या बैसैक बनाम श्याम स्ंदर हलदर और अन्य।, [1953] 545 पर एस. सी. और. 533; गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा, [1980] 2 एस. सी. और. 146; एस. नारायणस्वामी बनाम जी. पन्नीरसेल्वम और अन्य, [1973] 1 182 पर एस. सी. और. 172; एन. एस. वर्दाचारी बनाम जी. वसंत पाई और अन्य, [1973] 1 एस. सी. और. 886; भारत संघ बनाम संकल चंद हिम्मतलाल सेठ और अन्य, [1978] 1 एस. सी. और. 423 और बिक्री कर औयुक्त, यू. पी. बनाम औरिया चैंबर ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद, [1986] 2 एस. सी. और. 430 438 पर। योजना में संशोधन और परिवर्तन करना और इसे उन लोगों पर लागू करना जो योजना के तहत अन्यथा हकदार नहीं हैं, भेदभाव से बचने के लिए अदालतों द्वारा कभी-कभी अपनाई गई सकारात्मक कार्रवाई के सिद्धांत के तहत भी नहीं औएगा। यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो इस मामले में उच्च न्यायालय ने जो किया है, वह विधायी शक्ति का स्पष्ट और नग्न द्रूपयोग है।

उच्च न्यायालय का विचार कि पैराग्राफ 2 भेदभाव करता है जिन लोगों ने सात साल की सेवा पूरी कर ली है और जिन्होंने इतनी सेवा पूरी नहीं की है, वह हमारी राय में सही नहीं हैं। पेंशन योजनाओं में पेंशन के उद्देश्यों के लिए न्यूनतम अविध तय करना एक सर्वविदित प्रथा है। ऐसी पेंशन के लिए न्यूनतम अविध क्या होगी, यह विशेष सेवा, उस औय पर निर्भर करेगी जिस पर कोई व्यक्ति ऐसी सेवा में प्रवेश कर सकता है, सामान्य अवधि जिस पर उससे सेवानिवृत्ति पर अपनी सेवानिवृत्ति से पहले सेवा करने की उम्मीद की जाती है, और अन्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पेंशन के लिए निर्धारित सात पूर्ण वर्षों की सेवा की अविध मनमाना है। जहाँ तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का संबंध है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि भारत सरकार अधिनियम के तहत सेवानिवृत्ति से पहले सात पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि को पेंशन के लिए पात्रता के लिए पहले से लिखा गया था। वास्तव में उन लोगों के लिए कोई पेंशन प्रदान नहीं की गई थी जिन्होंने संविधान पूर्व योजना के तहत सात साल की सेवा पूरी नहीं की थी। इस प्रकार हमारे पास पेंशन के लिए कम से कम सात साल की सेवा तय करने का इतिहास या ऐतिहासिक औधार या कारण हैं। भाग । एक पेंशन योजना से संबंधित है। सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति से पहले सेवा की न्यूनतम अवधि निर्धारित करना, पेंशन के लिए स्वयं ही एक योजना है न कि एक वर्गीकरण। यह पात्रता के लिए योग्यता कहने के लिए ऐसा है। यह पेंशन की गणना से अलग है। वे सभी जो उस शर्त को पूरा करते हैं, वे पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।

यहां तक कि जिन लोगों ने सात साल की सेवा पूरी की थी, उन्हें भी सेवा के सभी पूर्ण वर्षों के लिए 1,600 रुपये प्रति वर्ष की दर से पेंशन नहीं दी जाती है और पेंशन के उद्देश्यों के लिए एक अधिकतम सीमा तय की गई है। यदि कोई अधिकतम देय राशि के संदर्भ में प्रतिवर्ष दर के हिसाब से गणना करता है तो 14 वर्षों की सेवा में वह अधिकतम राशि तक पहुच जाता है। उस अवधि से ऊपर की किसी भी सेवा को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति जिसने अधिकतम पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अवधि रखी थी, उसे उस व्यक्ति के खिलाफ अनुकूल व्यवहार कहा जा सकता है जिसने अधिकतम पेंशन के लिए औवश्यकता से अधिक वर्षों की

सेवा की थी और इस तरह भेदभाव किया था। इस प्रकार पेंशन योजना में प्रावधान की तर्कसंगतता को तर्कों की इस पंक्ति में नहीं माना जा सकता है। ऐसे मामले की कल्पना करना असंभव नहीं है जहां देय पेंशन अंतिम वेतन से अधिक होगी यदि अधिकतम सीमा तय नहीं की गई थी।

यह कहना भी सही नहीं है कि पेंशन की राशि प्रदान की गई है। पैराग्राफ 9 में न्यूनतम पेंशन है। उक्त पैराग्राफ में 'न्यूनतम' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन केवल यह कहा गया है कि यदि कोई न्यायाधीश किसी भी प्रावधान के तहत पेंशन के लिए पात्र हुए बिना सेवानिवृत्त होता है, तो अन्य प्रावधानों में किसी भी चीज के बावजूद, उसमें उल्लिखित एक विशेष राशि की पेंशन का भ्गतान न्यायाधीश को किया जाएगा। इस राशि की गणना नहीं की गई है या इसमें सेवा की किसी भी अवधि का कोई संदर्भ नहीं है। उदाहरण के लिए एक न्यायाधीश जिसने सेवानिवृत्ति से पहले केवल दो साल की सेवा की थी, उसे भी उतनी ही राशि मिलेगी जितनी छह साल की सेवा पूरी करने वाले न्यायाधीश को मिलती है। अगर हम फिर से प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए। खारिज करते हैं तो पैराग्राफ 2 में सात साल की सेवा पूरी करने से संबंधित शर्त से वे सभी लोग गंभीर रूप से प्रभावित होंगे जिन्होंने छह साल से कम की सेवा पूरी की थी और पैराग्राफ 9 भी लागू नहीं होगा। औगे अगर हम अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग । के अनुच्छेद 2 को उच्च न्यायालय के अनुसार संशोधन करते हैं तो उन लोगों के लिए खुला हो सकता है जिन्होंने पांच साल से अधिक या चार साल से अधिक का समय दिया है, यह तर्क देते हुए कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उससे कम समय दिया था इस अविध में बह्त अधिक दर पर पेंशन मिलेगी।

इसिलए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय ने स्वंय के क्षेत्राधिकार और शक्ति को पैराग्राफ 2 में पेंशन की पात्रता के लिए अलग-अलग न्यूनतम अविध को प्रतिस्थापित करके भाग । के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों में संशोधन और परिवर्तन कर स्वंय की अधिकारिता को पार कर लिया था। चूंकि प्रतिवादी ने पेंशन के लिए सात पूर्ण वर्षों की सेवा नहीं दी है, इसलिए वह अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग । के पैराग्राफ 9 में प्रदान की गई दरों पर पेंशन के लिए पात्र होगा, अर्थात 4.10.1983 से 31.10.1986 की अविध के लिए 8,400 रुपये प्रति वर्ष की दर से और 1 नवंबर, 1986 को और उससे रु 15,750 प्रति वर्ष की दर से।

हम पहले ही देख चुके हैं कि अपील के लंबित रहने के दौरान इस अपील में अंतिम निर्णय के अधीन इस न्यायालय में 15 दिसंबर, 1988 की कार्यवाही में भारत सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी औदेश के अन्पालन में लखनऊ सरकार के म्ख्य सचिव को सूचित किया, कि भारत के राष्ट्रपति ने प्रत्यर्थी की सेवा में एक महीने और 13 दिनों को जोड़ने के लिए इसे छह साल की पूर्ण सेवा बनाने की मंजूरी दी। हालाँकि, जिन परिस्थितियों में और पेंशन के सवाल पर हमने जो विचार व्यक्त किया है, हम इस सवाल में नहीं जाना चाहते हैं कि क्या उच्च न्यायालय अविध को जोड़ने के लिए पहले की अस्वीकृति को दरिकनार करने में सही था। चूंकि एक महीने और 13 दिनों को जोड़ने से पेंशन की गणना में कोई फर्क नहीं पड़ता है जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, राष्ट्रपति की यह मंजूरी केवल अधिनियम की धारा 17 ए (3) के तहत उपदान की गणना करने के उददेश्य के लिए प्रासंगिक हो गई है। हालांकि इस न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन,चूंकि अविध तीन महीने से कम है और राष्ट्रपति अधिनियम की धारा 16 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त को मंजूरी देने के लिए त्ष्ट थे, हम ग्रेच्य्टी और पारिवारिक पेंशन की गणना के उद्देश्यों के लिए इस अतिरिक्त राशि को लागू रखने की अन्मति देना उचित और औवश्यक समझते है, हालांकि पेंशन के लिए नहीं।

तदनुसार अपील की अनुमित है और उच्च न्यायालय का औदेश अदालत को दरिकनार कर दिया जाता है। तथापि, प्रत्यर्थी उपदान व पारिवारिक पेंशन निर्धारित करने और छह वर्ष की सेवा पूरी करने के औधार पर गणना की गई राशि के भुगतान का हकदार होगा। खर्चे बारे में कोई औदेश नहीं होगा।

जीएन.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद और्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती हिरल मीणा (और.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और औधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।